छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 30 जुलाई, 2021 (श्रावण 8,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखपरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 02) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा फर्नीचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बलौदाबाजार जिले में स्थापित श्री सीमेंट प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के अभाव में दो मजदूरों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, सिमगा शराब दुकान में देशी अवैध शराब बिना स्कैनिंग के उतारे जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(4) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला–जांजगीर–चांपा में राजस्व संबंधित प्रकरण लंबित होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, जिला–महासमुंद में खसरा नम्बर 532/1 की अर्जित भूमि को भू–स्वामी द्वारा पुनः विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. रमन सिंह, श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य, जिला–कबीरधाम, विकासखण्ड–पण्डरिया के ग्राम–कांदावानी व छीरपानी में आठ बैगाओं की मृत्यु होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर में स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आग लगने से मरीजों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला–जांजगीर–चाम्पा में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू नहीं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध भण्डारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में विदेशियों विशेषकर रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा अवैध घुसपैठ किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में साइबर ठगी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सुकमा जिले में सिलेगर आंदोलन की घटना एवं नक्सली गतिविधियों में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, जिला जेल जशपुर में लोदाम निवासी एक व्यक्ति की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन संरक्षित भूमि का अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, प्रदेश में विभिन्न सीमेंट संयंत्रों द्वारा शासकीय नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, सदस्य,प्रदेश में लेमरू हाथी परियोजना हेतु अधिसूचना जारी नहीं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) सर्वश्री सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में बायर सीड प्रोडक्शन कम्पनी द्वारा किसानों को प्रदत्त हाईब्रीड बीज से खेती करने से नुकसान होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के किसानों द्वारा आर्थिक बदहाली व प्रताड़ना के चलते आत्महत्या किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री धर्मजीत सिंह,सदस्य, अरपा–भैंसाझार परियोजना तहत् किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के निजी स्कूलों में अवैधानिक शुल्क वसूली किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, श्रम विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, कोरबा–चाम्पा नेशनल हाईवे में निर्माण से प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजा राशि नहीं दिये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला–रायगढ़ के ग्राम–भगवानपुर में भू–माफियाओं द्वारा सार्वजनिक नाली को तोड़कर भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम मुण्डादेवरी में नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम सकेत में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,
- (iii) कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल सरगांव में 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,
- (iv) सारधा में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,
- (v) ग्राम सिरगिट्टी के हायर सेकेण्डरी स्कूल में 3 अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भण्डारपुर में 132 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापित करने,

(4) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम जोरातराई में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम ठोठाझरिया में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (iii) ग्राम सलोनी में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने,

(5) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम बरतनारा में एनीकट निर्माण करने,
- (ii) ग्राम गोमची में स्टापडेम निर्माण करने,

क्रमशः 4

(6) श्रीमती ममता चंद्राकर, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम दानी घटोली में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम गांगपुर से घोघराकला तक सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम कृतबांधा/धौराबंद के पास विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने,

(iv) ग्राम पेण्ड्रीकला तथा ग्राम मथानीखुर्द मे हॉफ नदी पर रिटर्निंग वाल निर्माण करने,

(v) ग्राम इंदौरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 बिस्तर की सुविधा प्रदान करने,

(vi) ग्राम अचानकपुर में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,

(vii) पंडरिया–बदौरा–कोदवागोड़ान मार्ग में आगर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने तथा

(7) श्री पुरूषोत्तम कंवर, सदस्य, जिला–कोरबा अंतर्गत ग्राम रंजना में नवीन प्री–मैट्रिक बालक छात्रावास भवन निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–12 (क्रमांक–2769) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 5 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021(क्रमांक 5 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. अशासकीय संकल्प

1 घंटा (1) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से पूर्ण शराब बंदी की जाये।"

25 मिनट (2) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "संत रविदास की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाये।"

1 घंटा (3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों में प्लास्टिक पाऊच के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये।"

8. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि – विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 29 जुलाई, 2021